S.No.P.C.VI. 35 RBE No. 153/08

Government of India/भारत सरकार Ministry of Railways/रेल मंत्रालय Railway Board/रेलवे बोर्ड

रेल भवन, नई दिल्ली 110001, तिथि 14/10/2008 Rail Bhawan, New Delhi-110001, dated.

No.E(G)2008/AL12-3

The General Manager, Northern Railway, New Delhi. North Western Railway, Jaipur Western Railway, Mumbai. West Central Railway, Jablapur.

Sub: Discontinuation of Border Area Allowance to the Railway employees serving on the International Border of Rajasthan - Implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission circulated vide Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) O.M. No. 13(1)/2008-E.II.B dated 29.8.08 relating to Border Area Allowance, Ministry of Railways in modification of their letter No. E(G)95/AL12-2 dated 21.6.1999 have decided to discontinue the Border Area Allowance w.e.f. September 1, 2008.

This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Suvomoy Pal)
Deputy Director Estt. (Genl.)

No.E(G)2008/AL12-3

New Delhi, Dated 14/10/2008

Copy to:

i) The FA&CAOs, Northern Railway/New Delhi, North Western Railway/Jaipur, Western Railway/Mumbai and West Central Railway/Jabalpur.

ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.

(Suvomoy Paly Deputy Director Estt. (Genl.)

क्रम सं. पी सी IV 35 आर बी ई सं. 153 08

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी) 2008/ए एल 12-3

नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2008

महाप्रबंधक, उत्तर रेल, नई दिल्ली उत्तर पश्चिम रेल, जयपुर पश्चिम रेल, मुंबई पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

> विषय: राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेवारत रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाले सीमा क्षेत्र भत्ते को समाप्त करना-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

सीमा क्षेत्र भत्ते से संबंधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 29.8.08 के का.ज्ञा. सं. 13 (1)/2008-ई-II-बी के तहत परिपित्रत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, रेल मंत्रालय ने अपने 21.6.1999 के पत्र सं. ई (जी)95/ए एल/12-2 के आशोधन में, 1 सितंबर, 2008 से सीमा क्षेत्र भत्ते को समाप्त करने का विनिश्चय किया है.

इसे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त है और इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है.

सु भी भ भारत (सुभोमोय पाल) उप निदेशक, स्था.(सा.) रेलवे बोर्ड.

सं. ई (जी) 2008/ए एल 12-3

नई दिल्ली, दिनांक 14 -10.2008

प्रतिलिपि प्रेषितः

- i) विस एवं मुलेधि, उत्तर रेल/नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम रेल/जयपुर, पश्चिम रेल/मुंबई एवं पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर
- ii) मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा, 16, अशोक रोड, लखनऊ

सुभो मो म पं लि (सुभोमोय पाल) उप निदेशक, स्था (सा.) रेलवे बोर्ड.